संख्या- 229 /2025/1692 /चार-2025-1697349

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 27 मई, 2025**

विषय:- चैत्र नवरात्रि/श्रीराम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-495/सं0नि0-15(109)/2022-23, दिनांक 26 मई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा चैत्र नवरात्रि/श्रीराम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रू0 41.30 लाख की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-179/2025/1149/चार-2025-1697349, दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर बालिकाओं एवं महिलाओं की सहभागिता के साथ प्रदेश के समस्त जनपदों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2025 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(4) में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:-

(4) सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु चयनित मण्डलियों को प्रति मण्डली एवं प्रति स्थल मानदेय के रूप में धनराशि रु0 5,000/- तथा साउंड, लाइट, बैनर, बैकड्राप, तख्त, दरी-बिछावन आदि व्यवस्थाओं पर रु0 5,000/- की धनराशि व्यय की जाएगी जिसका भुगतान संस्कृति विभाग द्वारा जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् के माध्यम से किया जाएगा।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चैत्र नवरात्रि/श्रीराम नवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में प्रदेश के 41 जनपदों हेतु **रू0 41,30,000/- (रू0 इकतालीस लाख तीस हजार मात्र)** की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) जनपदों का नाम निम्नवत् है:- आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, आजमगढ, बलिया, बस्ती, भदोही, बुलन्दशहर, चन्दौली, एटा, फर्रूखाबाद, गाजियाबाद, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्भी, लखीमपुर खीरी, महोबा, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत, प्रतापगढ, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, शामली, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, गोरखपुर सिद्धार्थनगर, लखनऊ।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025- 231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से आहरित कर संबंधित जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद को इनके बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- संबंधित अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्, उ0प्र0।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in